बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु ड्राफ्ट परिनियम, 2026

परिनियम का संपूर्ण हिंदी विश्लेषण एवं मुख्य बिंदु

---

1. सामान्य परिचय (शीर्षक, विस्तार एवं प्रभावी तिथि)

अधिनियम का नाम: यह नियमावली "बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (अनुबंध आधारित नियुक्तियों सहित) की नियुक्ति के लिए परिनियम, 2026" के नाम से जानी जाएगी।

कार्यक्षेत्र और विस्तार: यह परिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य सभी विश्वविद्यालयों एवं उनके अंगीभूत महाविद्यालयों (Constituent Colleges) पर समान रूप से लागू होगा।

लागू होने की तिथि: यह परिनियम बिहार के माननीय कुलाधिपति (राज्यपाल) की स्वीकृति (Assent) मिलने की तिथि से राज्यभर में प्रभावी माना जाएगा।

2. महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिभाषाएँ

- **आयोग (Commission):** इससे तात्पर्य "बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग" (BSUSC) या राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु अधिकृत किसी अन्य आयोग से है।
- **विभाग (Department):** इससे तात्पर्य उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से है।
- **लिखित परीक्षा:** आयोग द्वारा योग्य असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली विषय-विशिष्ट लिखित परीक्षा।
- **NET/SLET/SET:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) या CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET/SET)।

3. नियमित (Regular) नियुक्ति की प्रक्रिया एवं अनिवार्य योग्यताएँ

A. चयन का मूल उद्देश्य:

उम्मीदवारों में विषय का गहन ज्ञान, उत्कृष्ट शिक्षण शैली, शोध क्षमता, छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता और आधुनिक डिजिटल शिक्षण उपकरणों (ICT) के प्रयोग में दक्षता सुनिश्चित करना है। सभी नियुक्तियाँ अखिल भारतीय स्तर पर खुले विज्ञापन के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

B. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:

- **स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री):** संबंधित या संबद्ध (Allied) विषय में न्यूनतम **55% अंकों** के साथ मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है।
- **अंकों में छूट:** बिहार राज्य के मूल निवासी SC / ST / EBC (नॉन-क्रीमी लेयर) / BC (नॉन-क्रीमी लेयर) और देश के किसी भी राज्य के दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों को मास्टर्स डिग्री में **5% की छूट (यानी न्यूनतम 50% अंक)** प्रदान की जाएगी। ध्यान रहे कि एक उम्मीदवार को दो अलग-अलग श्रेणियों की छूट का दोहरा लाभ नहीं मिलेगा।
- **पात्रता परीक्षा:** उम्मीदवार का NET या SLET/SET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- **Ph.D. धारकों को विशेष छूट:** जिन उम्मीदवारों ने UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत अपनी Ph.D. डिग्री पूरी की है, उन्हें NET/SLET/SET से छूट दी जाएगी।
- **वर्ष 2009 से पूर्व पंजीकृत Ph.D. उम्मीदवार:** उन्हें निम्नलिखित 5 शर्तों को पूरा करने पर ही NET से छूट मिलेगी (जिसका सत्यापन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है):
    1. Ph.D. डिग्री केवल नियमित मोड (Regular Mode) में प्राप्त की गई हो।
    2. शोध प्रबंध (Thesis) का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो।
    3. उम्मीदवार का ओपन वाइवा-वोस (खुली मौखिक परीक्षा) आयोजित हुआ हो।
    4. Ph.D. शोध कार्य से कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित हुए हों (जिनमें से कम से कम एक रेफरीड जर्नल में हो)।
    5. UGC/CSIR/ICSSR आदि द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों/सेमिनारों में कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हों।
- **विदेशी विश्वविद्यालय से शिक्षा:** यदि किसी उम्मीदवार ने दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों (QS, THE, या ARWU वैश्विक रैंकिंग के अनुसार) में से किसी से Ph.D. की है, तो उन्हें भी NET से छूट मिलेगी।

C. आयु सीमा:

विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की 1 जुलाई को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु **21 वर्ष** होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु **40 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी।

4. नियमित नियुक्ति हेतु परीक्षा का प्रारूप एवं अंक विभाजन

असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर अंतिम चयन कुल **200 अंकों** के आधार पर तैयार मेधा सूची से होगा। इसका विभाजन निम्नलिखित है:

चयन का घटक	कुल आवंटित अंक	विशेष विवरण एवं शर्तें
लिखित परीक्षा	**175 अंक**	यह परीक्षा विषयपरक (Subjective) होगी। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम संबंधित विषय के UGC-NET परीक्षा के समान ही रहेगा।
साक्षात्कार (Interview)	**25 अंक**	इसमें दो उप-घटक शामिल हैं: 1. **13 अंक:** स्पॉट टीचिंग स्किल (कक्षा शिक्षण कौशल प्रदर्शन) के लिए, जिसकी अनिवार्य रूप से **वीडियो रिकॉर्डिंग** की जाएगी। 2. **12 अंक:** साक्षात्कार बोर्ड के साथ विषय चर्चा एवं व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए।

लिखित परीक्षा में पास होने हेतु न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक:

साक्षात्कार के लिए पात्र होने हेतु लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है:

- सामान्य श्रेणी (General): **40%**
- पिछड़ा वर्ग (BC): **36.5%**
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): **34%**
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और सभी वर्ग की महिलाएँ: **32%**

शॉर्टलिस्टिंग का अनुपात: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों में से रिक्ति के आधार पर **1:3 के अनुपात** (एक पद के लिए 3 उम्मीदवार) में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यदि कट-ऑफ अंक पर एक से अधिक उम्मीदवार होंगे, तो उन सभी को साक्षात्कार का अवसर मिलेगा।

5. लिखित परीक्षा के प्रश्नों का प्रारूप (Annexure-I)

क्रम संख्या	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
1	अति लघु उत्तरीय (Very Short Answer) - (एक शब्द/रिक्त स्थान/एक वाक्य)	20	01	20
2	लघु उत्तरीय (Short Answer) - (सामान्यतः एक पैराग्राफ)	15	02	30
3	तर्क आधारित विश्लेषणात्मक (Reasoning / Analytical Type)	15	03	45
4	दीर्घ उत्तरीय (Long Answer) - (शब्द सीमा 200 से 250 शब्द)	10	08	80
कुल योग				**175**

6. अनुबंध (Contractual) नियुक्तियाँ: नियम, शर्तें एवं API गणना

अनुबंध के आधार पर नियुक्तियाँ केवल छात्र-शिक्षक अनुपात को सुदृढ़ करने के लिए आपातकालीन स्थितियों में ही की जाएंगी।

- **कार्यकाल:** यह नियुक्ति अधिकतम **1 शैक्षणिक सत्र** के लिए होगी। प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ही अगले सत्र के लिए नवीनीकरण संभव होगा। नियमित पद भरे जाने पर यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- **मानदेय:** इन्हें नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के शुरुआती स्तर के न्यूनतम मासिक सकल वेतन **(Basic + DA केवल)** के बराबर नियत (Fixed) मानदेय दिया जाएगा।
- **अनुबंध चयन का आधार:** अनुबंध आधारित नियुक्तियों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। यह पूरी तरह से **API स्कोर (100 अंक) + साक्षात्कार (12 अंक)** पर आधारित होगी।

अनुबंध नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अंक भार (API Score - कुल 100 अंक):

शैक्षणिक स्तर / योग्यता	प्रतिशत / श्रेणी विवरण	आवंटित अंक	अधिकतम अनुमन्य (Permissible) स्कोर
उच्च शैक्षणिक योग्यता	Ph.D. Degree	11	अधिकतम संयोजन: - Ph.D. + JRF = 22 अंक - Ph.D. + NET = 19 अंक
	JRF (UGC/CSIR)	11	
	NET (बिना JRF)	08	
स्नातकोत्तर (PG)	80% और उससे अधिक	26	अधिकतम **26 अंक**
	70% से अधिक और 80% से कम	23	
	60% से अधिक और 70% से कम	20	
	55% से अधिक और 60% से कम (SC/ST हेतु 50% से 60%)	17	
स्नातक (Graduation)	80% और उससे अधिक	17	अधिकतम **17 अंक**
	70% से अधिक और 80% से कम	15	
	60% से अधिक और 70% से कम	13	
	55% से अधिक और 60% से कम	11	
	45% से अधिक और 55% से कम (45% से कम पर 0 अंक)	09	
इंटरमीडिएट (10+2)	सभी उत्तीर्ण छात्र (प्रतिशत आधारित सूत्र)	सूत्र अनुसार	सूत्र: **(13 / 100) * प्राप्त प्रतिशत** (अधिकतम 13 अंक)
मैट्रिक (10वीं)	सभी उत्तीर्ण छात्र (प्रतिशत आधारित सूत्र)	सूत्र अनुसार	सूत्र: **(10 / 100) * प्राप्त प्रतिशत** (अधिकतम 10 अंक)

अनुबंध साक्षात्कार (12 अंक): इसमें 6 अंक स्पॉट टीचिंग स्किल प्रदर्शन (अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग सहित) तथा 6 अंक साक्षात्कार समिति के साथ बातचीत के लिए निर्धारित हैं।

7. अंतिम मेधा सूची एवं टाई-ब्रेकर नियम

- **नियमित नियुक्ति सूची:** लिखित परीक्षा (175) + साक्षात्कार (25) = कुल 200 अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार होगी।
- **विश्वविद्यालय आवंटन:** चयनित उम्मीदवारों को उनकी मेधा सूची के स्थान और आवेदन पत्र में दिए गए प्राथमिक विकल्पों (Merit-cum-Choice) के आधार पर विश्वविद्यालयों का आवंटन किया जाएगा।

अंक समान होने पर प्राथमिकता (Tie-Breaker Rules):

1. यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के कुल अंक समान हैं, तो **लिखित परीक्षा में अधिक अंक** प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।
2. यदि लिखित और साक्षात्कार दोनों के अंक समान पाए जाते हैं, तो **आयु में बड़े (अधिक उम्र वाले)** उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।
3. यदि जन्मतिथि भी समान होती है, तो **देवनागरी लिपि में उम्मीदवार के नाम के वर्णानुक्रम (Alphabetical Order)** के अनुसार मेधा सूची तय की जाएगी।

8. आरक्षण नीति एवं योगदान की समय सीमा (Joining Time)

आरक्षण का पालन: बिहार सरकार की नवीनतम आरक्षण नियमावली का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा। रोस्टर की गणना श्रेणी-वार, विषय-वार और विश्वविद्यालय-वार की जाएगी। यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ के बराबर या अधिक अंक लाता है, तो उसका चयन सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में किया जाएगा।

योगदान (Joining) के नियम:

- **नियमित उम्मीदवार:** नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद सामान्यतः **1 महीने** का समय योगदान के लिए दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुरोध पर इसे अधिकतम 6 महीने तक विस्तारित किया जा सकता है।
- **अनुबंध उम्मीदवार:** इन्हें नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से **7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से योगदान** करना होगा। इन्हें समय सीमा में कोई विस्तार (Extension) नहीं दिया जाएगा। नियत समय पर ज्वाइन न करने पर उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी।

उच्च स्तरीय ड्राफ्ट परिनियम समिति के सदस्य:

प्रो. परमेंद्र कुमार बाजपेयी (संयोजक व कुलपति, JPU) | **प्रो. दिनेश चंद्र राय** (कुलपति, BRABU) | **प्रो. विवेकानंद सिंह** (कुलपति, पूर्णिया विवि)
प्रो. बिमलेंदु शेखर झा (कुलपति, BNMU) | **कल्पना श्रीवास्तव** (सदस्य-सचिव व ओ.एस.डी. (जे), राज्यपाल सचिवालय, बिहार)